निर्णय न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
4/2017	1.9.2017	31-1-2018

श्रीमती विमला पुत्री दिल्ला पत्नि जगमोहन जाति बैरवा निवासी खरेडा तहसील वजीरपुर हाल वासी पुरानी बैरवा बस्ती, वार्ड नम्बर 33 बाढ सालोदा गंगापुर सिटी
—अपीलार्थी

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत स्यारौली तहसील वजीरपुर
2. लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार वजीरपुर
3. संतरा देवी पुत्री दिल्ला पत्नि बत्तू जाति बैरवा निवासी खरेडा
4. कमलेश देवी पुत्री दिल्ला पत्नि रामचरण हाल वासी परीता तह0करौली

—प्रत्यार्थीगण

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 677
दिनांक 27.5.2016 ग्राम खरेडा तहसील वजीरपुर

उपस्थित :—श्री रवि शंकर शर्मा, एडवोकेट, अपीलार्थी की ओर से
श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट, रेस्पोन्डेन्ट नं0 1 की ओर से

निर्णय

अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 677 दि0 27.5.2016 ग्राम खरेडा इस आशय की पेश की है कि आराजी हाल ख0नं0 45 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 46 रकबा 0.36 है0, ख0नं0 522 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 523 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 524 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 535 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 536 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 568 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 569 रकबा 0.11 है0 ग्राम खरेडा अपीलार्थी व रेस्पो0 नं0 3, 4 की पैत्रक भूमि रही है। पूर्व में यह भूमि अपीलार्थी के पिता दिल्ला व काका काडू की खातेदारी की भूमि रही है। अपीलार्थी के पिता व काका की मृत्यु के बाद अपीलार्थी व रेस्पो0 नं0 3, 4 उपरोक्त वर्णित भूमि के वारिस हैं परन्तु वारिसान के नामान्तरकरण संख्या 677 दिनांक 27.5.2016 में भूलवश अपीलार्थी का नाम विमला देवी की जगह रामनरी दर्ज कर दिया गया है एवं इसी अनुसार आगामी जमाबंदी में भी अपीलार्थी का नाम रामनरी दर्ज हो गया है। इस भूमि पर के0सी0सी0 बनवाने के लिए अपीलार्थी ने नकल जमाबंदी ली तो इस अशुद्धि का पता चला। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि नामान्तरकरण संख्या 677 दिनांक 27.5.16 ग्राम खरेडा में अपीलार्थी का नाम रामनरी के

स्थान पर विमला देवी अंकित करने के आदेश फरमाए जावें तथा इसी अनुसार जमाबंदी में भी इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

अपील दर्ज की जाकर प्रत्यार्थीगण को तलब किया गया । प्रत्यार्थी नं0 2 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। तहसीलदार वजीरपुर से अपीलाधीन नामान्तरकरण की पटवार परत प्राप्त हुई।

दिनांक 17.1.2018 को रेस्पोन्डेन्ट नं0 3, 4 न्यायालय में उपस्थित हुई। इनकी ओर से एक प्रार्थना प्रस्तुत कर यह बताया गया कि अपीलार्थी विमला देवी उनकी सगी बहन है। नामान्तरकरण में दर्ज भूमि प्रार्थीगण की पैत्रक भूमि रही है। गांव में बचपन में अपीलार्थी को रामनरी नाम से पुकारा जाता था जबकि रिकार्ड में अपीलार्थी का नाम विमला है जो सही है। पटवारी हलका द्वारा नामान्तरकरण खोलते समय अपीलार्थी का बोलता नाम रामनरी ही दर्ज कर दिया गया जिसे विमला देवी किए जाने में हमें कोई आपत्ती नहीं है। इसमें हमारी पूर्ण सहमति है।

अपील के साथ अपीलार्थी ने नकल नामान्तरकरण संख्या 677 दिनांक 27.5.2016 ग्राम खरेडा, नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072, फोटोकोपी मतदाता पहचान पत्र,फोटोकोपी आधार कार्ड पेश किए हैं।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने अपनी अपील के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि अपीलार्थी का सही नाम विमला देवी है परन्तु जो अपीलाधीन नामान्तरकरण खोला गया है उसमें अपीलार्थी का नाम विमला देवी के स्थान पर रामनरी अंकित कर दिया गया है । अपीलार्थी का सही नाम विमला देवी है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण में अपीलार्थी का सही नाम विमला देवी दर्ज किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट नं0 2 के विद्वान वकील ने अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने पर अपनी सहमति प्रकट की है।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 677 दिनांक 27.5.2016 ग्राम खरेडा के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार दिल्ला, काडू की मृत्यु होने के बाद उसके वारिसों सन्तरा, कमलेश, रामनरी के नाम यह नामान्तरकरण खोला

है। अपीलार्थी के इस कथन की पुष्टि उसके द्वारा प्रस्तुत फोटोकोपी मतदाता पहचान पत्र, फोटोकोपी आधारकार्ड से होती है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी की बहन संतरा व कमलेश ने भी अपीलार्थी का सही नाम विमला देवी होना बताया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार अपीलार्थी का सही नाम रामनरी नहीं होकर विमला देवी होना प्रतीत होता है एवं अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 677 दिनांक 27.5.2016 ग्राम खरेडा के कालम संख्या 9 में अंकित नाम रामनरी के स्थान पर विमला देवी दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इस कालम में दर्ज शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी । इसी अनुसार अन्य राजस्व अभिलेख में भी दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति मूल नामान्तकरण जिल्द पडत पटवार किता 98 ग्राम स्यारौली सहित तहसीलदार वजीरपुर को उपरोक्तानुसार पालना हेतु प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31-1-2018 को सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी